रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08122021-231710
CG-DL-E-08122021-231710

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4720] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 8, 2021/अग्रहायण 17, 1943
No. 4720] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 8, 2021/AGRAHAYANA 17, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2021

(आयकर)

का.आ. 5094(अ).—जबकि, आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार करने और राजकोषीय अपवंचन रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा किरगिज़ गणराज्य की सरकार के बीच एक करार के संशोधनकारी प्रोटोकॉल (जिसे इसके बाद कथित संशोधनकारी प्रोटोकॉल कहा गया है) पर नई दिल्ली में 13 अप्रैल, 1999 को हस्ताक्षर किए गए थे, जैसा कि इस अधिसूचना के अनुबंध में दिया गया है, उस पर बिश्केक, किरगिज़ गणराज्य में 14 जून, 2019 को हस्ताक्षर किए गए हैं;

और जबकि, उक्त संशोधनकारी प्रोटोकॉल के प्रवृत्त होने की तारीख 22 अक्तूबर 2020 है, जो कि कथित संशोधनकारी प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 3 के अनुसार, कथित संशोधनकारी प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए संबंधित कानूनों के द्वारा यथा अपेक्षित प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद अधिसूचनाओं में से बाद की अधिसूचना की तिथि है।

इसलिए, अब, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि इसके साथ संलग्न कथित संशोधनकारी प्रोटोकॉल के सभी उपबंध भारत संघ में लागू होंगे।

अनुबंध

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा राजकोषीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा किरगिज़ गणराज्य की सरकार के बीच करार जिस पर नई दिल्ली में 13 अप्रैल, 1999 को हस्ताक्षर किए गए थे, का संशोधनकारी प्रोटोकॉल।

भारत गणराज्य की सरकार तथा किरगिज़ गणराज्य की सरकार,

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा राजकोषीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा किरगिज़ गणराज्य की सरकार के बीच करार (जिसे इसके बाद "करार" कहा गया है), जिस पर नई दिल्ली में 13 अप्रैल, 1999 को हस्ताक्षर किए गए थे, को संशोधित करने की इच्छा से,

इस प्रकार सहमत हुई हैं:

अनुच्छेद 1

करार के अनुच्छेद 3 के अनुच्छेद (छ) के उप-पैराग्राफ़ (ii) को निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

"किरगिज़ गणराज्य में, अर्थव्यवस्था मंत्रालय या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि"

अनुच्छेद 2

करार के अनुच्छेद 26 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा

"अनुच्छेद 26

सूचनाओं का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना (दस्तावेजों अथवा दस्तावेजों की अधिप्रमाणित प्रतियों सहित) का आदान-प्रदान करेंगे जो कि इस करार के उपबंधों को अथवा संविदाकारी राज्यों अथवा उनके राजनैतिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकरणों की ओर से लगाए गए प्रत्येक प्रकार एवं विवरण के करों के संबंध में घरेलू कानूनों के प्रशासन अथवा प्रवर्तन को क्रियान्वित करने के लिए अनुमानत: संगत हैं, जहां तक कि उनके अधीन कराधान व्यवस्था इस करार के प्रतिकूल नहीं है। सूचनाओं का आदान-प्रदान अनुच्छेद 1 और 2 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है।

2. संविदाकारी राज्य द्वारा पैराग्राफ 1 के अंतर्गत प्राप्त की गई कोई सूचना उस संविदाकारी राज्य के आंतरिक कानूनों के अंतर्गत प्राप्त सूचना के समान ही गुप्त समझी जाएगी और उसे केवल उन व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (न्यायालय और प्रशासनिक निकाय शामिल हैं) को प्रकट किया जाएगा जो पैराग्राफ 1 में उल्लिखित करों के संबंध में करों के निर्धारण अथवा उनकी वसूली करने, उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा अपीलों का निर्धारण करने या उपर्युक्त की चूक से संबद्ध हों। ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी केवल ऐसे प्रयोजनों के लिए सूचना का उपयोग करेंगे। वे इस सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाहियों अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे। भले ही पूर्वोक्त सूचनाओं में कुछ भी कहा गया हो, किसी संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई सूचनाएं दूसरे प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जा सकती हैं, यदि ऐसी सूचनाओं का प्रयोग दोनों संविदाकारी राज्यों के कानूनों के तहत ऐसे आन्य प्रयोजनों के लिए किया जा सकता हो तथा आपूर्तिकर्ता संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी ऐसे प्रयोग के लिए प्राधिकृत करते हों।

3. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 और 2 के प्रावधानों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा:

(क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों अथवा प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय करना;

(ख) ऐसी सूचना (जिसमें दस्तावेजों की अधिप्रमाणित प्रतियां शामिल हैं) की आपूर्ति करना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्त नहीं है;

(ग) ऐसी सूचनाओं की आपूर्ति करना जिससे कोई व्यापार, कारोबार, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक भेद अथवा व्यापार प्रक्रिया, अथवा सूचना प्रकट होती हो, जिसको प्रकट करना सार्वजनिक नीति के प्रतिकूल हो।

4. इस अनुच्छेद के अनुसरण में यदि किसी संविदाकारी राज्य द्वारा किसी सूचना का अनुरोध किया गया हो, तो दूसरा संविदाकारी राज्य अनुरोध की गई सूचना प्राप्त करने के लिए अपने सूचना एकत्र करने वाले उपायों का उपयोग करेगा, भले ही दूसरे राज्य को अपने स्वयं के कर प्रयोजनों के लिए ऐसी सूचना की आवश्यकता न हो। पिछले वाक्य में अन्तर्निहित दायित्व पैराग्राफ 3 की सीमाओं के अधीन है, किन्तु किसी भी स्थिति में ऐसी सीमाओं का यह अर्थ नहीं होगा कि संविदाकारी राज्य केवल इसलिए सूचना की आपूर्ति करने से मना करते हैं कि ऐसी सूचना में उसका कोई आंतरिक हित नहीं है।

5. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 3 के प्रावधानों का अर्थ केवल इसलिए सूचना की आपूर्ति करने से मना करने के लिए किसी संविदाकारी राज्य को अनुमति देने के लिए नहीं लगाया जाएगा कि वह सूचना किसी बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान, किसी एजेंसी या किसी न्यासी क्षमता में कार्यरत नामिती या व्यक्ति के पास है या यह किसी व्यक्ति के स्वामित्व हित से संबंधित है"।

अनुच्छेद 3

प्रवृत्ति

दोनों संविदाकारी राज्य राजनयिक माध्यमों से लिखित रूप में एक-दूसरे को अधिसूचित करेंगे कि उन्होंने इस प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए अपने-अपने कानूनों के अंतर्गत अपेक्षित प्रक्रियाएं पूरी कर ली है। यह प्रोटोकॉल ऐसी अधिसूचनाओं में से बाद की अधिसूचना की तारीख से प्रवृत्त होगा।

उसके साक्ष्य में, अधोहस्ताक्षरी, जोकि विधिवत प्राधिकृत हैं, ने इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं जोकि इस करार का अभिन्न अंग होगा।

बिशकेक में 14 जून 2019 तारीख को हिन्दी, किरगिज़, रूसी और अंग्रेजी में दो मूल प्रतियों में निष्पादित, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक। किसी भिन्नता की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा।

भारत गणराज्य की सरकार की ओर से

किरगिज़ गणराज्य की सरकार की ओर से

[अधिसूचना सं. 135/2021/फा. सं. 503/07/95-वि.क.प्र.-II]

राजेश कुमार भूत, संयुक्त सचिव